# झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

चायबगान, कालीनगर, नामकोम, राँची–834010.
e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com

# विवरणिका

## विज्ञापन संख्या–05/2018

## {विशेष शाखा आरक्षी (क्लोज कैडर) प्रतियोगिता परीक्षा–2018}

## Special Branch Constable (Close Cadre) Competitive Examination-2018

## {SBCCE-2018}

**1.** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक– 11/क0च0आ0–02–24/2017 का0–133 (अनु0) दिनांक–03.01.2018 के द्वारा अग्रसारित गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक–7189 दिनांक–20.12.2017 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए झारखण्ड के स्थानीय सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु विहित प्रपत्र में **विशेष शाखा आरक्षी (क्लोज कैडर) प्रतियोगिता परीक्षा–2018** के लिये **ऑन–लाईन (Online)** आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार अर्हतानुसार निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते है। ऑन–लाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाईट– **www.jssc.nic.in** पर लॉगईन करके दिनांक 04.01.2019 से 18.02.2019 तक समर्पित किया जा सकता है। तदुपरान्त लिंक परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दिनांक–19.02.2019 से दिनांक–21.02.2019 तक विस्तारित अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिनांक–22.02.2019 से दिनांक–24.02.2019 तक लिंक उपलब्ध रहेगा। इस तिथि के उपरांत दिनांक–25.02.2019 से दिनांक–27.02.2019 तक समर्पित आवेदन में संशोधन हेतु लिंक उपलब्ध कराया जायेगा। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने समर्पित आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं।

## 2. झारखण्ड राज्य के विशेष शाखा में आरक्षी (क्लोज कैडर) के पद पर नियुक्ति हेतु रिक्तियों की विवरणी :–

| क्र॰ सं॰ | सेवा का नाम विभाग का नाम | पदनाम | आरक्षण कोटि | क्षैतिज आरक्षण के तहत पदों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | आरक्षित कोटि की रिक्तियों के विरूद्धआरक्षित वर्ग की महिला | अ॰ज॰जा॰ की रिक्ति के अधीन आदिम जनजाति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | विशेष शाखा आरक्षी (क्लोज कैडर) | आरक्षी | 1.अनारक्षित/सामान्य | 506 | – | _ |
| | | | 2.अनुसूचित जनजाति | 263 | | 06 |
| | | | 3.अनुसूचित जाति | 101 | 25 | |
| | | | 4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) | 81 | | – |
| | | | 5.पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) | 61 | | |
| | | | **योग :–** | **1012** | **25** | **06** |

- **कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के अनुसार घट–बढ़ सकती है।**

**टिप्पणी:**(i). कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 1182 दिनांक 13.02.2018 के आलोक में महिलाओं को अनुमान्य क्षैतिज आरक्षण की गणना आरक्षित वर्ग की कुल रिक्तियों के सापेक्ष की गई है।

(ii) अनुसूचित जन जाति के लिए विज्ञापित रिक्ति में से 2 (दो) प्रतिशत रिक्तियाँ आदिम जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगी। आदिम जन जाति के योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त रिक्ति अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी। आदिम जनजाति कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को विवरणिका की कंडिका 8(III) (i), यथा विवरणिका के परिशिष्ट–I पर धारित विहित प्रपत्र में प्राप्त प्रमाण पत्र की संख्या एवं तिथि ऑन लाईन आवेदन पत्र में प्रविष्ट करना होगा।

(iii) गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या 1168 दिनांक 27.02.2017 के द्वारा आरक्षी (विशेष शाखा) की नियुक्ति में निःशक्तजनों के लिए 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से मुक्त किया गया है।

**3.** कंडिका– 2 में वर्णित पद का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् हैः–

| क्रम सं॰ | पदनाम | वेतनमान | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | आरक्षी | वेतन बैंड पी0बी0I– रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन– रू0 2000/– (अपुनरीक्षित) | 10+2 (बारहवीं) कक्षा उर्त्तीण। |

- **अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्यतः प्राप्त कर लिये हों।**

**4.** **उम्र सीमा**:– उम्र की गणना दिनांक– 01.08.2018 के आधार पर की जायेगी।

| क्र॰ सं॰ | वर्ग | न्यूनतम उम्र सीमा | अधिकतम उम्र सीमा |
|---|---|---|---|
| 1. | अनारक्षित/सामान्य | 19 वर्ष | 25 वर्ष |
| 2. | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची– 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) | 19 वर्ष | 28 वर्ष |
| 3. | अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति | 19 वर्ष | 30 वर्ष |

**5.** **आरक्षण :**

(I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र समर्पित करने के अंतिम तिथि तक दावा किये गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत वैध प्रमाण पत्र धारित किया जाता है।

(II) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगाः–

(i) **जाति प्रमाण पत्र**– जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित–प्रपत्र {अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए **परिशिष्ट–II पर अंकित प्रपत्र** तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1 एवं 2) के लिए **परिशिष्ट–III पर अंकित प्रपत्र**} में निर्गत जाति प्रमाण–पत्र।

(ii) **स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र** – जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित–प्रपत्र (**परिशिष्ट–I पर अंकित प्रपत्र**) में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र।

**(III)** **(a)** अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जातिः–

झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ निर्धारित विहित प्रपत्र–I (परिशिष्ट–II पर अंकित प्रपत्र) में आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य के उपायुक्त / अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

**(III)** **(b)** अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) :–

झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) कोटि के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ निर्धारित विहित प्रपत्र–II (ननक्रीमीलेयर प्रमाण सहित) {परिशिष्ट–III पर अंकित प्रपत्र} में आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक झारखण्ड राज्य के उपायुक्त / अनुमण्डल पदाधिकारी स्तर से निर्गत वैद्य **(valid)** जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

**(IV)** आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

**(V)** झारखण्ड राज्य के उपायुक्त / अनुमण्डल पदाधिकारी से अलग प्राधिकार यथा अचंल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी आदि स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

**(VI)** केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र **(OBC Certificate)** मान्य नहीं होगा।

**(VII)** शैक्षणिक कार्यों / सेना में भर्ती लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण से अनुमान्य नहीं होगा।

**(VIII)** अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–1 (अनुसूची–1) एवं पिछड़ा वर्ग–2 (अनुसूची–2) के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (विज्ञापन की कंडिका–5) में उल्लेखित) से अलग निर्गत जाति प्रमाण पत्र समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि में रखी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन होगी।

(IX) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को ऑन लाईन आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र की संख्या, इसके निर्गम की तिथि तथा उस प्रमाण पत्र को निर्गत करने वाले प्राधिकार का पद नाम अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। इन प्रमाण पत्रों की जाँच तद्हेतु निर्धारित कार्यक्रम में आयोग द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर आवेदन पत्र में भरे गये प्रमाण पत्रों को अनिवार्य रूप से जाँच हेतु प्रस्तुत करना होगा।

(X) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–II पर अंकित प्रपत्र) में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा **एवं अनिवार्य रूप से इस प्रमाण पत्र की संख्या तथा तिथि आवेदन में अंकित करना होगा तथा इस प्रमाण पत्र को प्रमाण पत्रों के सत्यापन कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।**

**नोटः** (क) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिशिष्ट के रूप में विवरणिका में संलग्न है। आवेदक उपर्युक्त प्रपत्रों में सक्षम स्तर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही ऑन लाईन आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करें तथा ऑन लाईन आवेदन प्रपत्र में यथा स्थान अपने जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की संख्या एवं निर्गम तिथि दर्ज करें। उक्त प्रमाण पत्रों की मांग आयोग आवश्यकतानुसार कभी भी कर सकता है। **अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर ले कि जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र आवेदन भरने के समय वैद्य है।**

**(ख)** सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट–I, परिशिष्ट–II एवं परिशिष्ट–III पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/ स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उतरदायी होगे।

**(ग) ऐसे प्रमाण पत्र जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

6. **पात्रताः–**

**क) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या–5938, दिनांक–14.07.2016, संकल्प संख्या–3854, दिनांक–01.06.2018 एवं संकल्प संख्या–8468, दिनांक–20.11.2018 के आलोक में उपर्युक्त कंडिका–2 में वर्णित पदों पर झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी ही आवेदन देने के पात्र हैं। अतः विवरणिका के परिशिष्ट–I पर दिये गये प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित करने की तिथि तक आरक्षित एवं अनारक्षित दोंनों कोटि के अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है। अर्थात स्थानीय निवासी नही होने पर आवेदन स्वीकार्य नही होगा।**

**ख) परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि, स्थानीय निवासी, इत्यादि से सम्बन्धी पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं।**

ग) परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नही करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के उपरान्त संक्षिप्त सूची (Shortlisted) के अभ्यर्थियों की शारीरिक एवं चिकित्सीय जाँच के उपरान्त उनके पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकता है। निर्धारित शारीरिक जाँच/चिकित्सीय जाँच/ प्रमाण पत्रों की जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। प्रमाण पत्रों के जाँच के क्रम में आवेदन में भरे गये स्थानीय निवासी/आरक्षण के दावे/पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर यथा स्थिति आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

**7. परीक्षा का स्वरूप**

## 7.1 परीक्षा OMR आधारित होगी।

**7.2 परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम** :– परीक्षा निम्नलिखित तीन चरणों में ली जायेगीः–

- **(क)** लिखित परीक्षा
- **(ख)** शारीरिक दक्षता परीक्षा
- **(ग)** चिकित्सीय जाँच परीक्षा

**7.3** क) सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जायेगी जिसमें सफल होना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा–सूची में शामिल नहीं किया जायेगाः–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (I) | अनारक्षित | – | 40 (चालीस) प्रतिशत |
| (II) | अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति | – | 32 (बत्तीस) प्रतिशत |
| (III) | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग– (अनुसूची–1) | – | 34 (चौतीस) प्रतिशत |
| (IV) | पिछड़ा वर्ग– (अनुसूची–2) | – | 36.5(छत्तीस दसमलव पाँच) प्रतिशत |
| (V) | महिला | – | 32 (बत्तीस) प्रतिशत |

ख) लिखित परीक्षा के आधार पर मेधाक्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के तीन गुणा अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जायेगा तथा इन अभ्यर्थियों की सूची महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची को शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन हेतु भेज दी जायेगी। तदुपरान्त महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखण्ड, राँची द्वारा गठित नियुक्ति पर्षद के माध्यम से इन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में उतीर्ण होना आवश्यक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हक (Qualifying) परीक्षा है जिसमें कोई अंक देय नहीं होगा।

ग) लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की चिकित्सीय जाँच परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जायेगी तथा इसमें सफल होना अनिवार्य होगा अन्यथा मेधा सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

घ) आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा में योग्य पाए गए सफल अभ्यर्थियों की मेधासूची गठित की जाऐगी तथा उनके प्रमाण–पत्रों के प्रारंभिक सत्यापन के पश्चात परीक्षाफल प्रकाशित करते हुए नियुक्ति के निमित्त अनुशंसा की जायेगी। रिक्ति रह जाने की स्थिति में आयोग पुनः अपेक्षित संख्या में नीचे से मेधाक्रम में अभ्यर्थियों की सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन हेतु नियुक्ति पर्षद को उपलब्ध करायेगा। मेधाक्रम में नीचे से अभ्यर्थियों के चयन के क्रम में उक्त कंडिका 7.3 (क) में प्रावधानित न्यूनतम अर्हतांक का अनुपालन किया जायेगा।

**7.4** **लिखित परीक्षा** :–लिखित परीक्षा में दो पत्र होंगे। दोनो पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे।

**7.5** **प्रश्न पत्र–1**:–

i) इस पत्र में निम्नलिखित पाँच उपखण्ड होंगे:–

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) | हिन्दी भाषा ज्ञान | – | 50 प्रश्न |
| (ख) | सामान्य ज्ञान | – | 50 प्रश्न |
| (ग) | सामान्य विज्ञान | – | 25 प्रश्न |
| (घ) | सामान्य गणित | – | 25 प्रश्न |
| (ड़) | अंग्रेजी भाषा ज्ञान | – | 25 प्रश्न |
| | **कुल** | – | **175 प्रश्न** |

ii) उपर्युक्त उपखण्डों का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा:–

क) हिन्दी भाषा ज्ञान:– इसके अधीन अपठित अनुच्छेद, पद्यांश तथा व्याकरण आधारित प्रश्न रहेंगे। इस उपखण्ड में बारहवीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(ख) सामान्य ज्ञान:– इस पत्र में सामायिक विषय, राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, भारतीय संविधान, इतिहास एवं भूगोल तथा झारखण्ड राज्य के ज्ञान से सम्बन्धित के प्रश्न रहेंगे। इस उपखण्ड में बारहवीं कक्षा स्तर के प्रश्न रहेंगे।

(ग) सामान्य विज्ञान:– इस उपखण्ड में आठवीं कक्षा स्तर के सामान्य विज्ञान विषयक प्रश्न रहेंगे।

(घ) सामान्य गणित:– इस उपखण्ड में आठवीं कक्षा स्तर के सामान्य गणित विषयक प्रश्न रहेंगे।

(ड़) अंग्रेजी भाषा ज्ञान:– इस पत्र में अपठित अंग्रेजी अनुच्छेद, व्याकरण, अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद तथा हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद से सम्बन्धित इण्टरमीडिएट कक्षा स्तर के प्रश्न पूछे जायेंगे।

iii) प्रश्न पत्र 1 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 2 (दो) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 (दो) अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.66 (शून्य दशमलव छः छः) अंक की कटौती की जायेगी।

iv) परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी।

**7.6** i) **प्रश्न पत्र–2ः–**

इस पत्र के अधीन अभ्यर्थियों के स्थानीय/जनजातीय भाषा, यथा–**हिन्दी/अंग्रेजी/उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी(मुण्डा)/हो/खड़िया/कुडूख(उराँव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया/संस्कृत** में किसी एक भाषा की परीक्षा ली जायेगी। यह प्रश्न पत्र अर्हक होगा जिसमें न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। इस पत्र में 33 प्रतिशत न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रथम पत्र का मूल्यांकन किया जायेगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यथियों के प्रथम पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

ii) स्थानीय/जनजातीय भाषाओं की सूची परिशिष्ट (IV) एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट (V) के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है। प्रश्न पत्र 2 में एक प्रश्न का पूर्ण अंक 1 (एक) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 (एक) अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.33 (शून्य दशमलव तीन तीन) अंक की कटौती की जायेगी।

iii) **द्वितीय पत्र अर्हक पत्र है अतएव इस पत्र में प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।**

iv) इस पत्र में प्रश्नों की संख्या 50 होगी तथा परीक्षा अवधि 1 घंटे की होगी।

**7.7** राज्य के परीक्षा केन्द्रों में उपलब्ध सीट से अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो जाने पर लिखित परीक्षा दो अथवा इससे अधिक चरणों में आयोजित की जायेगी।

**7.8** **शारीरिक दक्षता परीक्षा :–**

**(क) शारीरिक मापदण्डः–**

| क्रमांक | आरक्षण कोटि | ऊँचाई (से0मी0) | सीना (से0मी0) |
|---|---|---|---|
| **1.** | अनारक्षित | न्यूनतम 160 | न्यूनतम 81 |
| **2.** | अनुसूचित जनजाति | न्यूनतम 155 | न्यूनतम 79 |
| **3.** | अनुसूचित जाति | न्यूनतम 155 | न्यूनतम 79 |
| **4.** | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) | न्यूनतम 160 | न्यूनतम 81 |
| **5.** | पिछड़ा वर्ग (अनुसूची –2) | न्यूनतम 160 | न्यूनतम 81 |
| **6.** | महिला | न्यूनतम 148 | – |

(ख) शारीरिक जाँचः–

| क्र०सं० | जाँच | पुरूष उम्मीदवार | महिला उम्मीदवार |
|---|---|---|---|
| 1 | एक मील की दौड़ | 7 मिनट | 10 मिनट |
| 2 | ऊँची कूद | 4 फीट | – |
| 3 | लम्बी कूद | 12 फीट | – |
| 4 | गोला फेंक (16 पौण्ड) | 15 फीट | 10 फीट |

**टिप्पणीः– शारीरिक जाँच परीक्षा में कोई अंक देय नहीं होगा लेकिन शारीरिक जाँच एवं माप में सफल होना अनिवार्य होगा। अर्थात् यह मात्र अर्हक (Qualifying) प्रकृति का होगा।**

**7.9 चिकित्सीय जाँच परीक्षा :–**

i) **अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, ऊँगलियों का उचित ढंग से नहीं घुमना, दृष्टिदोष, कलर ब्लाईंडनेश (Colour Blindness) / रतौंधी (Night Blindness), Hearing, Stammering, Bericocele/ Hydrocele/ Piles और Any Communicable Physical/ Mental disease आदि की चिकित्सीय परीक्षण की जायेगी।**

ii) शारीरिक दक्षता परीक्षा में योग्य एवं अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को चयन पर्षद द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

iii) शारीरिक दक्षता परीक्षा में योग्य अभ्यर्थियों की चिकित्सीय जाँच तदहेतु गठित चिकित्सा पर्षद द्वारा की जायेगी।

iv) विशेष शाखा आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु गठित मेधा सूची में स्थान पाने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार निर्धारित न्यूनतम अहर्तांक [यथा विवरणिका की कंडिका 7.3 (क)] प्राप्त करना, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा चिकित्सीय जाँच परीक्षा में उतीर्ण होना अनिवार्य होगा।

v) प्रावधानित चिकित्सीय जाँच परीक्षा में लिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील के लिए अधीक्षक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान राँची की अध्यक्षता में **Apex Medical Board** के गठन का प्रावधान होगा।

**8. मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :**

(i) आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा में उतीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र–1 में प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार निर्धारित न्यूनतम अहर्तांक [यथा विवरणिका की कंडिका 7.3 (क)] से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जायेगा परन्तु रक्षाशक्ति विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त/उत्तीर्ण कर

चुके है, उनके लिए निम्नांकित कंडिका–11 में दी गई अधिमानता के अंक को मेधा निर्धारण हेतू जोड़ा जायेगा।

(ii) मेधा–सूची के गठन में अधिमानताः–

क) लिखित परीक्षा में उपर्युत उपकंडिका (i) में निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी केन्द्र सरकार एवं झारखण्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा डिप्लोमा (Degree or Diploma) की उपाधि प्राप्त/उतीर्ण कर चुके हैं तो उन्हें विशेष शाखा में आरक्षी के पद पर नियुक्ति में निम्न प्रकार 04–10 अंक तक की अधिमानता (Weightage) दी जायेगी।

| **Class obtained in Degree or Diploma of the Raksha Shakti University** | **Additional marks to be given** |
|---|---|
| **Distinction** | **10** |
| **First Class** | **08** |
| **Second Class** | **06** |
| **Pass Class** | **04** |

रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी Online आवेदन में विहित स्थान पर अपने प्रमाण–पत्र का Scan प्रति अपलोड करें। प्रमाण–पत्र का Scan प्रति नहीं करने पर रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से संबंधित अधिमानता अंक प्रदान नहीं किए जायेगें।

(iii) **दो (02) या अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में वरीयता का निर्धारण जन्म तिथि (जिसकी पहले हो) तथा जन्म तिथि समान होने की स्थिति में उँचाई (जिसकी अधिक हो) के आधार पर की जायेगी।**

(iv) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरूद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।

(v) उपर्युक्त उप कंडिका (iv) के आधार पर मेधा–सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् यथा समय अपनी सुविधा के अनुसार आयोग के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सहयोग से विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिये चयन हेतु निर्धारित पात्रता/अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच करायी जायेगी।

अतः अभ्यर्थी अपना अवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जिन प्रमाण पत्रों की विवरणी आवेदन पत्र में अंकित की जा रही है, व उनके पास उपलब्ध है। यह भी सुनिश्चित कर ले कि सभी प्रमाण पत्रों में उनका नाम, पिता का नाम, एवं जन्म तिथि जो अंकित है, उसे ही आवेदन पत्र में दर्ज किया जा रहा है।

(vi) प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी अभ्यर्थिता रद्द हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में आयोग सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों की उपलब्धता के आलोक में मेधा सूची से क्रम के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रमाण–पत्रों के जाँच के लिए आमंत्रित कर सकता है अथवा रिक्ति के सापेक्ष विवरणिका की कंडिका– 7.3(क) में प्रावधानित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त अभ्यर्थियों को मेधाक्रम से शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सीय जाँच परीक्षा के लिए चयन पर्षद के समक्ष भेज सकेगा।

(vii) आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की मेधासूची–सह–परीक्षाफल प्रकाशित करते हुए नियुक्ति के निमित्त अनुशंसा की जायेगी। रिक्ति रह जाने की स्थिति में आयोग पुनः अपेक्षित संख्या में नीचे से मेधाक्रम में अभ्यर्थियों की सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन हेतु नियुक्ति पर्षद को उपलब्ध करायेगा। मेधाक्रम में नीचे से अभ्यर्थियों के चयन के क्रम में उपर्युक्त कंडिका 7.3 (क) में प्रावधानित न्यूनतम अर्हतांक का अनुपालन किया जायेगा।

## 9. परीक्षा शुल्कः–

परीक्षा शुल्क रू0 800 (आठ सौ रूपये) है।

**परीक्षा शुल्क में छूटः–** झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0 200 (दो सौ रूपये) है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेगें। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज का भी भुगतान करना होगा।

## 10. ऑन–लाईन आवेदन को भरने के लिए दिशा निदेश

**10.1** परीक्षा की विवरणिका एवं विज्ञापन को डाउनलोड कर अच्छी तरह पढ़ ले। ऑन–लाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निदेश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में प्रविष्ट सूचनाओं से पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को समर्पित (Submit) करें। आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग के वेवसाईट www.jssc.nic.in पर जाएँ एवं **Online Application for SBCCE-2018** पर **Click** करें तथा आवेदन पत्र भरें।

**10.2 चिन्हित जनजातीय भाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में से किसी एक भाषा का चुनाव करें।**

**10.3 लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र–II में अभ्यर्थी को उस जनजातीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा ज्ञान की परीक्षा देनी होगी जिनका चयन उनके द्वारा किया गया है।**

**10.4** आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन Submit करें। एक बार आवेदन Submit करने के पश्चात् किसी भी प्रविष्टि यथा नाम, माता/पिता के नाम, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, चयनित विषय, शैक्षणिक योग्यता, **GENDER**

इत्यादि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गये आवेदन के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी।

10.5 ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थियों के द्वारा जिन प्रमाण पत्रों की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया जाएगा उन प्रमाण पत्रों की मूल प्रति **सत्यापन** कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से **सत्यापन** हेतु प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा /अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी।

10.6 आवेदक अपने नाम की वर्त्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्त्तनी (spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।

10.7 आवेदक के मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा– तिथि, महीना और वर्ष है, वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखेंगे।

10.8 आवेदन पत्र में अपलोड किया जाने वाला फोटो हाल का तथा रंगीन होना चाहिए। फोटो से अभ्यर्थी का चेहरा पूर्ण रूपेण एवं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होना चाहिए। धूप चश्मा/टोपी के साथ खींचे गये फोटोग्राफ का व्यवहार न करें।

10.9 **आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेवसाईट–www.jssc.nic.in पर जाएँ एवं online Application for SBCCE-2018 को click करें। तत्पश्चात अपना पंजीकरण (Registration) करें। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाईल फोन एवं ईमेल पर पजींकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पजींकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोटकर सुरक्षित रखें क्योकि भविष्य में लॉगिन करने के लिए इन दोनो की आवश्यकता होगी। पजींकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही आप पुनः लॉगिन करें एवं आप अपने बारे में विस्तृत सूचना तथा अपना स्कैन (Scanned) किया हुआ रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का प्रमाण–पत्र अपलोड कर दें। जिस तिथि को आप यह कार्य पुरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12.00 बजे मध्याह्न के पश्चात पुनः लॉगिन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के पश्चात् पुनः लॉगिन करें एवं अपना फोटो स्कैन किया हुआ रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करें। परीक्षा शुल्क भुगतान करने एवं फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के 48 घंटे के बाद पुनः लॉगिन कर आप भरे हुए आवेदन का प्रिंटआउट अनिवार्य रूप से ले लें क्योंकि भविष्य में आयोग के साथ पत्राचार में आवेदन की प्रिंटआउट की प्रति संलग्न करना होगा।**

**10.10 आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन Submit करें। एक बार आवेदन Submit करने के पश्चात् की गई प्रविष्टियों में सीमित संशोधन का एकल अवसर अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा प्रदान किया जायेगा। इसके अधीन अभ्यर्थी अपने नाम में संशोधन नहीं कर पायेंगे। अनारक्षित**

**कोटि/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के अधीन पूर्व में आवेदन Submit करने वाले अभ्यर्थी अपने आरक्षण कोटि में संशोधन कर सकते हैं परन्तु अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी संशोधन लिंक के माध्यम से अनारक्षित कोटि/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)/ पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) का चयन नहीं कर सकते हैं। इसके अधीन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चयनित विषय, जन्म तिथि इत्यादि में सुधार का दावा मान्य होगा। उक्त सुविधा के बाद संशोधित प्रविष्टि के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी तथा इसके उपरान्त किसी भी सोपान पर आवेदन की प्रविष्टि में संशोधन का अनुरोध मान्य नहीं होगा।**

10.11 **ऑन–लाईन आवेदन में Preview/Edit की सुविधा दी गई है। अतः अभ्यर्थी सभी प्रवृष्टियों को Preview में देख ले एवं सभी प्रवृष्टियों से संतुष्ट होने के उपरांत ही आवेदन Submit करें। क्योंकि अंतिम रूप से आवेदन Submit करने के पश्चात् इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के संशोधन हेतु कोई भी आवेदन विचारणीय नहीं होगा।**

**11. आवेदन पत्र समर्पित करने की अवधि–**

**11.1** आवेदन पत्र में सभी सूचनाएँ भरा जाना अनिवार्य है अन्यथा Online आवेदन Submit नहीं हो पायेगा। ऑन–लाईन आवेदन भरने के लिए लिंक दिनांक 04.01.2019 के 10:00 बजे पूर्वाहन् से उपलब्ध होगा तथा आवेदन पत्र को भरने की अन्तिम तिथि 18.02.2019 मध्य रात्रि तक होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रथमतः Online आवेदन पत्र में प्रारंभिक विवरण भरा जाएगा। उसके बाद परीक्षा शुल्क के भुगतान करने के लिए लिंक दिनांक–21.02.2019 तक विस्तारित अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन संख्या की प्रविष्टि कर आवेदन पत्र में परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करते हुए अपना आवेदन पत्र Submit करेंगे। इसके लिए लिंक दिनांक–24.02.2019 की मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगा। दिनांक 18.02.2019 की मध्य रात्रि के बाद अभ्यर्थी अपना प्रारंभिक विवरण नहीं भर पायेंगे एवं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पायेंगे। इस तिथि के उपरांत दिनांक–25.02.2019 से दिनांक–27.02.2019 तक समर्पित आवेदन संशोधन हेतु लिंक उपलब्ध कराया जायेगा। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने समर्पित आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकते है। अंतिम रूप से आवेदन समर्पित करने के पश्चात् इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा। प्रमाण पत्रों के प्रारंभिक जाँच के क्रम में ऑन–लाईन आवेदन की प्रविष्टियों एवं प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

**आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें।**

**11.2 फोटो हस्ताक्षर अपलोड करते हुए आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि से तीन दिनों के उपरांत अर्थात् दिनांक–24.02.2019 की मध्य रात्रि से आवेदन पत्र की प्रविष्टि में सीमित संशोधन हेतु लिंक दिनांक–27.02.2019 की मध्य रात्रि तक आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिसके तहत् विवरणिका की कंडिका–12.4 में वर्णित संशोधन अभ्यर्थी द्वारा किया जा सकता है।**

## 12. नियुक्तिः–

**(i)** परीक्षा में सफलता सेवा में आरक्षी के पद पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।

**(ii)** सेवा में नियुक्तियाँ समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1), एवं महिलाओं के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्यधीन होगी।

## 13. कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणामः–

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false and suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested /certified copies,an explanation regarding this descrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of:

a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or

b) Impersonation, or

c) Procuring impersonation by any person, or

d) Submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, or

e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or

g) Using unfair means during written, physical eligibility or medical test, or

h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch in) in OMR sheet, or

i) Misbehaving in any other manner in the examination hall or during physical eligibity test/medical test/verification of documents, or

j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or

k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall, or

l) Attempting to commit or, as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:

i. to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or

ii. to be debarred either permanently or for a specified period.

m) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

n) **कदाचार के लिए कार्यवाही :–**ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थियों किसी भी Stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

o) **पूर्व के कदाचार का प्रभाव :–**वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग अथवा केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग अथवा कोई राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

## 14. अन्यान्य

**14.1** आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 के प्रावधान प्रभावी होगा।

14.2 आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविशिष्ठयों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

14.3 आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :–

**(i)** अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।

**(ii)** शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।

**(iii)** निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना।

**(iv)** प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।

**(v)** आयोग की परीक्षा में कंडिका–13 में वर्णित कदाचार

**(vi)** अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।

**(vii)** आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।

**(viii)** अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।

**(ix)** उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।

**(x)** **परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।**

**(xi)** किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।

**(xii)** परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

**(xiii)** अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भांति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।

**(xiv)** वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हे संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

**(xv)** **परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर ब्लूटूथ, कैलकुलेटर अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का मुल्यवान अथवा कीमती वस्तु नहीं ले जाँय। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाँय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।**

**(xvi)** **प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के website पर upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जाऐगी।**

**(xvii)** **आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र वैध फोटो पहचान पत्र के साथ ही मान्य होगा। अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने हेतु प्रवेश पत्र के साथ पासपोर्ट/ पैन कार्ड/ आधार कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र/ ड्राईविंग लाईलेंस में से किसी एक**

**को मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। वैध फोटो पहचान पत्र धारित नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।**

**(xviii)अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि परीक्षा के मूल प्रवेश पत्र (Admit Card) को सुरक्षित रखें। मूल प्रवेश पत्र (Admit Card) के बिना लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, चिकित्सीय जाँच एवं प्रमाण पत्रों के प्रारंभिक जाँच में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।**

**(xix)** परीक्षा राज्य में आयोग द्वारा निर्धारित शहरो में आयोजित की जायेगी।

**(xx)** Online दिये गये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की भुगतान से संबंधित बैंक चालान की प्रति परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेगें। शारीरिक दक्षता परीक्षा, चिकित्सीय जाँच एवं प्रमाण पत्रों के जाँच के समय इन्हें अनिवार्यतः उपस्थापित करना होगा। परीक्षाफल निर्गत होने तक आयोग कभी भी मूल प्रवेश पत्र सत्यापन हेतू माँग सकता है।

**(xxi)** परीक्षा में OMR ANSWER SHEET का उपयोग होगा तथा परीक्षा के बाद Computer के माध्यम से मूल्यांकन कार्य सम्पादित होता है। सभी अभ्यर्थी को हिदायत की जाती है कि OMR ANSWER SHEET पर आवश्यक प्रविष्टि (Entry) के अलावे उस पर किसी प्रकार का अन्य चिन्ह नहीं बनावे अन्यथा मूल्यांकन में त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होगें। OMR ANSWER SHEET पर उत्तर के लिए संबंधित गोला को इस प्रकार Black Ball Point Pen से पूरा काला (Darken) करें जिससे कि किसी अन्य गोला पर कोई निशान/चिन्ह नहीं बनने पाये अन्यथा मूल्यांकन प्रभावित होने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगें। OMR ANSWER SHEET में किसी भी प्रकार के चिन्ह बनाये जाने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

**(xxii)** आयोग कार्यालय से किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय आवेदक अपना Registration No/Roll No/ पूर्ण पता (Pin code सहित)/e-mail Id/ Mobile No. एवं संबंधित कागजात की Self Attested Photo Copy प्रति अनिवार्य रूप से दें।

**(xxiii)** इस परीक्षा से संबंधित सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.jssc.nic.in पर प्रकाशित किया जायेगा।

**(xxiv)** आयोग को अपरिहार्य कारणो से विज्ञापन एवं परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्त्तन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

ह0/–

परीक्षा नियंत्रक

# परिशिष्ट (I)

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 14/स्थानीयता.नीति–14–03/2016 का.–4650 दिनांक– 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र**

**(अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 02.06.2016 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)**

**झारखण्ड सरकार**

..............................................................................

(कार्यालय का नाम)

**झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र**

प्रमाण पत्र सं0 :– दिनांक :–

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ................................................ पिता/पति श्री.................................................................. पता–ग्राम/वार्ड/शहर............................................ पो0......................................थाना.................................... जिला...................................... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3198 दिनांक– 18.04.2016 की कंडिका– .......................... में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान :–

दिनांक :–

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का नाम एवं

पदनाम

—————————

# परिशिष्ट (II)

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जा.नि. –19–11/2008 का.–5682 दिनांक– 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र**

**झारखण्ड सरकार**
**प्रपत्र–I**

..............................................................

(कार्यालय का नाम)
जाति प्रमाण–पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या–.................................                                        तिथिः–.........................
...

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .......................................................................... ..पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री ....................................................... निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला ............. .....डाकघर........................... थाना ........................... जिला .......................... राज्य............................. अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत................................... जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी............................. एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा.................................., शहर............................., जिला..........................., राज्य................. ...में निवास करते हैं।

स्थान :–                                        सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
                                                नाम .....................................

दिनांक :–                                        पदनाम .................................

(कार्यालय की मुहर)

**(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)**

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

# परिशिष्ट (III)

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जाति–19–11/2008 का.–10007 दिनांक– 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र**

## प्रपत्र–II

## झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ........................................................ .. पुत्र/पुत्री ................................................................................. ग्राम/शहर ................................ थाना ................................ जिला .................................. झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001*,** की धारा–2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त ........................................ समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक– 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93–स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक– 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :–

दिनांक :–

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम .....................................
पदनाम ..................................
(कार्यालय की मुहर)

**(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)**

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11. 12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।

# परिशिष्ट (IV)

## प्रश्न पत्र–2 के लिए जनजातीय/स्थानीय भाषाओं की सूची जिनमें से किसी एक का चयन अभ्यर्थी द्वारा किया जाना है

(i) हिन्दी

(ii) अंग्रेजी

(iii) उर्दू

(iv) संथाली

(v) बंगला

(vi) मुण्डारी/मुण्डा,

(vii) हो

(viii) खड़िया

(ix) कुडूख (उराँव)

(x) कुरमाली

(xi) खोरठा

(xii) नागपुरी

(xiii) पंचपरगनिया

(xiv) उड़िया

(xv) संस्कृत

# परिशिष्ट –(V)–

## पत्र–2 :– जनजातीय/क्षेत्रीय भाषाओं का पाठ्यक्रम।

### कुडुख

1. व्याकरण – संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, पुरूष, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, कहावत, मुहावरे, पहेली, काल आदि।
2. **साहित्य–गद्य साहित्य–**

    जतरा अप सेन्दरा – बिरसा भगत

    कुडुख़र गही नेग अरा धरम – जम्बुआ कुजूर

    अंजेला– इग्नेस कुजूर

    राय साहब बंदीराम उराँव – अहलाद तिकी।

    रूइदास कुडुख़ बेलस – ए॰ ग्रिगनाड

    टना भगतर – डॉ॰ फिलिप एक्का

**पद्य साहित्य –**

    जड़ी पेल्लो – दवले कुजूर

    जतरा – डब्लयू जी0 आर्चर

    खेड्ड चम्बी –डॉ0 निर्मल मिंज

    रासी सुकखे गही –दवले कुजूर

    अलखा अमके – जस्टिन एक्का

    खद्द परिया – पदम् श्री जुवेल लकड़ा

    कुडुख़ लोक साहित्य, लोक गीत, कहानी एवं निबंध

## हिन्दी

**पुस्तक – आरोह भाग–2**

**काव्य खण्ड**

1. आत्म परिचय, दिन जल्दी–जल्दी ढलता है– हरिवंश राय बच्चन
2. पतंग – आलोक धन्वा
3. कविता के बहाने, बात सीधी थी पर – कुँवर नारायण
4. कैमरे में बंद अपाहिज– रघुवीर सहाय
5. सहर्ष स्वीकार है – गजानन माधव मुक्तिबोध
6. उषा – शमसेर बहादुर सिंह

7. बादल राग – निराला
8. कवितावली – तुलसीदास
9. रूबाइयाँ गजल – फिराक गोरखपुरी
10. छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख – उमाशंकर जोशी

**गद्य खण्ड**

11. भक्तिन – महादेवी वर्मा
12. बजार दर्शन – जैनेन्द्र कुमार
13. काले मेघा पानी दे – धर्मवीर भारती
14. पहलवान की ढ़ोलक – फणीश्वर नाथ रेणु
15. चार्ली–चैप्लिन यानी हम सब – विष्णु खरे
16. नमक – रजिया सज्जाद जहीर
17. शिरीष के फूल – हजारी प्रसाद द्विवेदी
18. धर्म विभाजन और जातिप्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज – भीमराव अम्बेडकर

**पुस्तक–वितान भाग–2**

1. सिल्वर वैडिंग – मनोहर श्याम जोशी
2. जूझ – आनन्द यादव
3. अतीत के दबे पाँव – ओम थानवी
4. डायरी के पन्ने – ऐन फ्रैंक

**जनसंचार माध्यम**

रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन, कार्यालयी पत्र टिप्पणी, समाचार, संपादकीय।

**व्याकरण**

संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, समास, मुहावरे, निबन्ध लेखन, पत्रलेखन, विशेष लेखन।

## English Language and Literature

### 1. Language

- Error Recognition
- Fill in the Blanks
- Grammar- Adjective, noun, pronoun, verb, subject-verb Agreement, Interchangeability of noun and verb, Gerund,

Participle, Infinitive, Adverb, Tense, Clause, Transformation, Narration, voice, Preposition.

- Synonyms
- Antonyms
- Idioms & Phrases
- Comprehension Passage etc.

**2. Literature**

- **Novel-** The Inheritance of Loss – Kiran Desai; Death of a Salesman- Arthur Miller; Robinson Crusoe- Daniel Defoe; Sense and Sensibility- Jane Austen; He Who Rides a Tiger- Bhawani Bhattacharya.
- **Drama –** The Merchant of Venice- William Shakespeare; Arms and the Man- G.B. shaw; Tara- Mahesh Dattani; The Way of the World- William Congreve.
- **Poetry –** Sonnet 60- William Shakespeare; The Rainbow- William Wordsworth; Home Thoughts from Abroad- Robert Browning; Lead Kindly Light – Cardinal Newman; Preface to In Memoriam – Alfred Lord Tennyson; Where The Mind is Without Fear – Rabindranath Tagore; Essay on Man- Alexander pope; the Harp of India- H.L.V. Derozio
- **Short Stories** – The Necklace- Guy De Maupassant (Trans); an Astrologers Day- R.K. Narayan; The Home Coming- Rabindranath Tagore; A cup of Tea- Katherine Mansfield; Mrs. Adis-Sheila Kaya Smith; God Sees the Truth, But Waits-Leo Tolstoy.
- **Essay-** A Slip of The Tongue- J.E.B. Gray; God sees the Truth, But Waits- Leo Tolstoy; The English Gentleman-

Mahatma Gandhi; The Bottle Imp- R.L. Stevenson; Opportunity for Youth- Jawaharlal Nehru; A Call To Youth- S. Radhakrishnan; on Travel by Train- J.B. Priestley.

- **History of the English Language :** A History of English Language- A.C. Baugh, Origins of the English Language – Joseph Willies.
- **Phonetics –** A Text Book of English Phonetics for Indian students- Balasubramaniam, A Course In Phonetics- P. Ladefoged.

## Urdu

### 1. Prose

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I.** | Haj-e-Akbar | - | Premchand (Story) |
| **II.** | Bhola | - | Rajinder Singh Bedi (Story) |
| **III.** | Chhauti ka Joda | - | Asmat Chugtai. |

### 2. Urdu Poem

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I.** | Jugnoo | - | Iqbal |
| **II.** | Kaljug | - | Nazeer Akbarbadi |
| **III.** | Mustaqbil | - | Akbar Allahabadi |
| **IV.** | Khak-e-Hind | - | Pandit Brijnarayan Chakbast. |

### 3. Urdu Grammar

I. Gender
II. Singular
III. Plural
IV. Meaning
V. Opposite.

## कुरमाली

1. व्याकरण : संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरूष, विशेषण, विलोम शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे, पहेली (बुझौवल)
2. कुरमाली लोक साहित्य : लोक साहित्य का तात्पर्य, परिभाषा, वर्गीकरण एवं महत्व।
3. लोकगीत : डाँइंडधरा गीत (पांतागीत), करमगीत, बिहारगीत, डमकच, ढपगीत।
4. कहानी : सबरनाखा नदीक जन्म, सात भाई एक बहिन, करमा–धरमा, पुइतू बूढ़ा।
5. निबंध : शहीद रघुनाथ महतो, शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, सृष्टिधर सिंह देव कटियार, टुसू परब।
6. साहित्यकार : डॉ0 नन्द किशोर सिंह, लखीकान्त मुतरूवार, केशव चन्द्र टिडुआर।

## हो

1. हो व्याकरण : संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, लिंग, वचन, पुरूष, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, कहावत, पहेली आदि।
2. साहित्य :–

   I. पद्य संग्रह

   II. गद्य संग्रह

   (i) पद्य साहित्य :– लिटा मसुरि बिर विरड्, मा अरदास, बा अटेडाकन दिसुम बनो, जुलोः चा, एना दो ओकोन दिसुम तोरं।

   (ii) गद्य साहित्य :– बहरोत, गिंदरू देयोआं, मुनु दोस्तुर अर मागे पोरोव, बा पोरोव एंगा हयम ममरं, कक्हारम्बड, नुड़हाम, सिंग दिसुम।

## खोरठा

**1. गद्य भाग**

**2. पद्य भाग**

**<u>सहायक पुस्तक–खोरठा गद्य–पद्य संग्रह</u>**

(क) प्रकाशक–खोरठा साहित्यः साहितद्ध संस्कृति परिषद् बोकारो

(ख) खोरठा निबन्ध–लेखक– डॉ0 बी0एन0 ओहदार

**(ग)** डाह नाटक – सुकुमार

**(घ)** फरीछ डहर (कहानी संकलन) – लेखक– पंचम महतो

**पद्य साहित्य :–**

सहायक पुस्तकें :—

(क) एक पथिया डोगल महुआ— लेखक— सन्तोष महतो

(ख) सोंध माटी — डॉ0 विनोद कुमार

**कविता भाग**

(ग) डिडांक डोआनी— लेखक— वंशी लाल वंशी

(घ) **तातल और** हेमाल— लेखक— शिवनाथ प्रमाणिक

**कविता संग्रह**

3. खोरठा व्याकरण — लेखक— ए0के0 झा
4. निबंध— समसामयिक विषय पर

## खड़िया

1. व्याकरण :— संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरूष, सजीव—निर्जीव, विशेषण, समान शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरा, बुझावल आदि।
2. साहित्य :—

(क)खड़िया लोक साहित्य का उद्भव एवं विकास, अर्थ, परिभाषा, भाग—विभाग, खड़िया जाति।

(ख) लोकगीत — जाड.कोर, करम, बन्दोई, जनम पर'ब, कदलेटा, मुरड', कसासिड.।

(ग) लोक कहानी — कथा कभनेइत

(घ)निबंध — शहीद तेलेंगा खड़िया, गोपाल खड़िया, खड़िया महासभा, बंदोई, जाड. कोर, करम, जनम पर'ब।

3. साहित्यकार— 1. प्यारा केरकेट्टा 2. पौलुस कुल्लू 3. जुलियुस बा' 4. डॉ0 रोज केरकेट्टा 5. जोवाकिम डुँगडुँग

## पंच परगनिया

1. पंचपरगनिया व्याकरण :— संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, लिंग, पुरूष, जीव—निर्जीव, समान शब्द, उल्टा शब्द, प्रत्यय, मुहावरा, बझौवल आदि।
2. साहित्य—पंचपरगनिया, लोक साहित्य, अर्थ, परिभाषा, भाग—विभाग, पंचपरगनिया भाषा का उद्भव एवं विकास।
3. लोक गीत एवं मध्यकालीन कवियों के गीत — पुसगीत, बिहा गीत, सँहरइ गीत, करम गीत, मंत्र आदि।

4. लोक कहानी– पँठी रानी, कारला रानी, चालाक बिलाइ, सिआर केर फेउ बुढ़ा मुड़ेना लगाबे, भादा, बुधुवा आदि।
5. निबंध– गोड़डीह केर वन अंचल, मुण्डाओं का गाँव धरमपुर, गीत–गोविन्द आर बइउकि, आदि।
6. शिष्ट गीत/कविता–चंचलमन, उदवेग, रोक, दुख आदि।
7. साहित्यकार–ज्योति लाल माहादानी, दीन बन्धु महतो, चन्द्र मोहन महतो, परमानन्द महतो, करमचन्द्र अहीर।

## संथाली

1. **व्याकरण** :– संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरूष, सजीव–निर्जीव, विशेषण, समान शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, मुहावरा, बुझोवोल
2. **साहित्य** :–

   **संताली लोक साहित्य** – अर्थ, परिभाषा, भाग–विभाग, संतालों का उद्भव और विकास।

   **लोकगीत** – डाहार, बाहा, सोहराय, काराम, दोड. सेरेञ

   **कहानी**– आगिल हापड़ाम कोवाः काथा, सोहराय, कविता, सोपोदान

   **निबंध**– सिदोकन्हू हुल, बाबा तिलका माँझी हुल डिबा किसुन, बिरसा हुल

   **साहित्यकार**– डोमन साहु समीर, भागवत मुरमू ठाकुर, दिगम्बर हाँसदाः, ठाकुर मुरमू ठाकुर, बाबूलाल मुरमू, केवलराम सोरेन, आदित्य मित संताली आदि।

## उड़िया

**1. गद्य विभाग :–**

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. | स्वाधीन चिन्ता | – | विश्वनाथ कर |
| II. | ओड़िया जाति किए | – | गोपबन्धु दास |
| III. | क्षमा | – | मायाधर मानसिंह |
| IV. | जातीय जीवन ओ संस्कृति | – | गोलक बिहारी धल |
| V. | लेखकर संसार | – | किशोरी चरण दास |
| VI. | मधुसूदन | – | चन्द्रशेखर रथ |

सहायक पुस्तक : गद्य धारा (ओडिशा राज्य पाठ्य पुस्तक प्रणयन संस्था, भुवनेश्वर)

**2. पद्य विभाग :–**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I.** | एणु कपोत गुरू मोर | – | जगन्नाथ दास |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **II.** | मो जीवन पछे नर्के पडि थाउ़ | – | भीम भोइ |
| **III.** | मुँ हाट बाहुड़ा | – | फकीर मोहन सेनापति |
| **IV.** | उठ कंकाल | – | गोदावरीश मिश्र |
| **V.** | ग्रामपथ | – | बिनोद चन्द्र नायक |
| **VI.** | शरत ऋतुर जन्ह – | – | गुरू प्रसाद महान्ती |

**सहायक पुस्तक :– पद्य धारा** (ओडिशा राज्य पाठ्य पुस्तक प्रणयन संस्था, भुवनेश्वर)

3. **नाटक :–**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I.** | बक्सी जगबन्धु | – | मनोरंजन दास |
| **II.** | अभियान | – | कालीचरण पट्टनायक |

4. **काव्य :–**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **I.** | पल्लिश्री | – | सच्चि राउतराय |
| **II.** | चिलिका | – | राधा नाथ राय |

5. **व्याकरण :–**

विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, लिंग, वचन, पुरूष, कारक, विभक्ति, अव्यव, क्रिया, संधि, समास, युग्म शब्द, अनेकार्थक शब्द, एकपदी करण, साधारण अशुद्धि।

## नागपुरी

1. **व्याकरण** :– वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, काल, धातु, क्रिया, वाक्य, अव्यव, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द।

2. **साहित्य :–**

(क) नागपुरी लोक लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथा, बुझौवल, कहावत, मुहावरे।

(ख) लोकगीत में– फगुआ, डमकच, अंगनई, मरदानी झूमर, बंगला झूमर, उदासी, पावस, लहसुवा, झुमटा।

(ग) लोक कथा से – वन हरनी कर बेटा, बुधू भंडारी, भाई–बहिन, बालमइत रानी।

बनफूल भाग – एक– (नागपुरी गद्य–पद्य संग्रह)– डॉ0 कुमारी वांसती।

## मुण्डारी

1. **व्याकरण** :– संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरूष, सजीव–निर्जीव, विशेषण, समान शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, मुहावरा, बझौवल
2. **साहित्य** :– मुण्डारी लोक साहित्य– अर्थ, परिभाषा, भाग–विभाग, मुण्डाओं का उद्भव और विकास।

**लोकगीत** :– बा, करम, सोहराई, अड़ान्दि।

**कहानी** :– करम कहानी, पशु–पक्षी, जीव जन्तुओं की कथा, पहाड़ों की कथा, देवी देवताओं की कथा, कविता आदि।

**निबन्ध** :– बिरसा आन्दोलन उलगुलान, गया मुण्डा, चोट्टि मुण्डा, माडा परब, मुण्डाओं की उत्पति।

**साहित्यकार :–**

1. डॉ0 रामदयाल मुण्डा,
2. दुलय चन्द्र मुण्डा,
3. काण्डे मुण्डा

## संस्कृत भाषा

ये प्रश्न इण्टरमीडिएट स्तर की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होंगे। झारखण्ड राज्य में इण्टर स्तर पर स्वीकृत पाठ्य पुस्तक ऋतिका (भाग–1 एवं भाग–2) के सभी पाठों के विषय तथा उनमें अनुप्रयुक्त व्याकरण सम्बन्धी प्रश्न इसमें मुख्य रूप से शामिल किये जायेंगे।

इसके अतिरिक्त शब्द रूप तथा धातु रूप इनमें शामिल होंगे–

**शब्द रूप**

बालक, फल, रमा, पति, मति, वारि, नदी, शिशु, धेनु, मधु, वधू, पितृ, मातृ, कर्तृ, राजन्, गच्छन, भवत्, आत्मन्, विद्वस, यत्, तत्, किम्, इदम्, अस्मद्, युष्मद्।

**धातु रूप (लट, लोट, लृट, लङ्, तथा विधि लिङ्ग लकारों में)**

पठ्, गम्, लिख्, पा, स्था, दृश, अस्, भक्ष्, घ्रा, हन्, श्रु, नृत्, स्पृश, चर, कथ्, कृ, ज्ञा, शक्, तथा क्री।

**अनुप्रयुक्त व्याकरण**

कर्ता, क्रियापद चयन, समानार्थक, विलोमार्थक, सर्वनाम, संज्ञा, विशेष्य, विशेषण, अलंकार, अनुप्रास, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा।

कारक, उपपद विभक्ति प्रयोग, वाच्य परिवर्तन (केवल लट् लकार में)

## Bengali Language and Literature

**(I) Prose, Poetry**

(A) Jibansmriti- Rabindranath Thakur (Selected)
Shiksharambha, Ghar O Bahir, Bhritya rajak Tantra, Kabita Rachanranbha, Shrikantha Babu, Pitri deb.

(B) Poetry (Selected) Madhukari- Kalidas Roy.

i. Atrimunir Ashrame Shree Ram Chandra- Krittibas.
ii. Ishwari Patani – Bharatchandra
iii. Bangabhasa – Madhusudan Dutta
iv. Nirjharer Swapnobhango – Rabindranath Thakur
v. Hat- Jatindra Nath Sen Gupta
vi. Kandari Hunshiar- Najrul Islam
vii. Atharo Bachhor – Sukanta Bhattacharjee

(C) Grammar :-
Samas, Sandhi, Bagdhara, Vinnarthak Shabdojngal.

(D) Essay – (One)

**परीक्षा नियंत्रक।**